प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1. **अपर निदेशक,**
एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड,
देहरादून।
2. **अपर** निदेशक,
सीमैट,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. **अपर निदेशक,**
माध्यमिक शिक्षा,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

पत्रांक :– सेवा–2/अराज0/1152-55/**3क(1)/कोटि0**/2024–25 दिनांक 20 अप्रैल, 2024
विषय :– एस0सी0ई0आर0**टी0/सीमैट/ डायट की श्रेणी/कोटिकरण निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के अनुमोदनोपरात एस0सी0ई0आर0टी0, सीमैट तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का कोटिकरण संलग्न कार्यालय ज्ञाप के अनुसार निर्धारण किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण हेतु तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– कार्यालय ज्ञाप।

भवदीय,
20/4/24
(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0:/ सेवा–2/अराज0/1152-55/**3क(1)/कोटि0**/2024–25 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. पोर्टल प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न कार्यालय ज्ञाप को विद्यालयी शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

20/4/24
(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024–25 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु निहित धारा–16 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के अन्तर्गत प्रवक्ताओं एवं स0अ0 (सामान्य/महिला शाखा) के स्थानान्तरण हेतु राज्य में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायटों) का कोटिकरण/चिन्हांकन हेतु निदेशक (मा0शि0) महोदय की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय में दिनांक 08.04.2024 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री महावीर सिंह बिष्ट, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड– अध्यक्ष
2. श्री अजय नौडियाल, अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड– सदस्य
3. डॉ0 मुकुल कुमार सती, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड– सदस्य
4. श्री सी0पी0 रतूड़ी, उप निदेशक, सेवा–2 अनुभाग, मुख्यालय– सदस्य
5. श्री मुकेश बहुगुणा, एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड– सदस्य

2. (i) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के परिशिष्ट–1 के धारा 3 का खण्ड (झ) में उल्लिखित है कि जनपद स्तरीय स्थल जिनकी तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है के आधार पर सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का मानक **"प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जाने वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की अध्यक्षता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण अधिनियम में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा"**। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के परिशिष्ट–3 के धारा 3 का खण्ड (झ) में उल्लिखित है कि सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा **"जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है उनके लिए विभाग की आवश्यकता की अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज की सुविधाओं के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण उक्त मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा"**।

(ii) शासनादेश संख्या–102 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–4, कार्मिकों की पद स्थापना हेतु वर्गीकरण में कार्मिकों की पदस्थापना हेतु निम्न 03 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

1. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक के लिए किये जाने की व्यवस्था है।
2. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना मण्डल स्तर तक किए जाने की व्यवस्था की गयी है।
3. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पदस्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

(iii) कोटिकरण के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2018 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुपालन में

की गयी बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–5 पर चर्चा की गयी, जिसमें उल्लिखित है कि **"डायट/एस0सी0ई0आर0टी0/राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/निदेशालय/विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर/जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों आदि संस्थानों में तैनात राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों हेतु संबंधित की संस्था की श्रेणी/कोटिकरण सबसे निकटतम माध्यमिक विद्यालय हेतु निर्धारित श्रेणी के अनुसार अनुमन्य होगें"**।

(iv) समिति द्वारा अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश–08 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञाप एवं पत्रांक 104–10 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के अनुसार सत्र 2022–23 वार्षिक स्थानान्तरण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कोटिकरण निर्धारण पर चर्चा की गई। जिसके आधार पर गत वर्ष 2023 में कार्यरत इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों (प्रवक्ता/एल0टी0) के स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी थी। जबकि यह व्यवस्था शासनादेश संख्या–102 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–4, कार्मिकों की पद स्थापना हेतु वर्गीकरण में कार्मिकों की पदस्थापना हेतु केवल तीसरी श्रेणी अर्थात ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पदस्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है, के संदर्भ में होनी चाहिए थी, शिक्षकों (प्रवक्ता/एल0टी0) के संदर्भ में यह व्यवस्था केवल उस स्थिति में प्रासंगिक होती जबकि प्रदेश में इस संस्थानों (डायट एवं एस0सी0ई0आर0टी0) में पृथक शिक्षक शिक्षा संवर्ग गठित होता।

चूंकि वर्तमान में वर्तमान में प्रदेश में पृथक शिक्षक सेवा संवर्ग गठित नहीं है और डायटों में तैनात शिक्षक (प्रवक्ता/एल0टी0) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आते है, और उनके संबंध में शासनादेश संख्या–102 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–4, कार्मिकों की पदस्थापना हेतु वर्गीकरण में कार्मिकों की पदस्थापना हेतु पहली श्रेणी अर्थात ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक के लिए किये जाने की व्यवस्था है। अतः उनके लिए उनके कार्यरत संस्थान की श्रेणी/कोटिकरण की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में तैनात शिक्षकों (प्रवक्ता/एल0टी0) की तरह ही होनी चाहिए। इन संस्थानों का कोटिकरण दिनांक 13.04.2018 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुपालन में की गयी बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–5 में उल्लिखित व्यवस्था ***"डायट/एस0सी0ई0आर0टी0/राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/निदेशालय/विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर/जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों आदि संस्थानों में तैनात राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों हेतु संबंधित की संस्था की श्रेणी/कोटिकरण सबसे निकटतम माध्यमिक विद्यालय हेतु निर्धारित श्रेणी के अनुसार अनुमन्य होगें"***, के अनुसार ही होनी चाहिए।

3. उक्त के क्रम में डायटों एवं एस0सी0ई0आर0टी0 में कार्यरत शिक्षकों (प्रवक्ता/एल0टी0) के वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये कि–

(i) चूंकि वर्तमान में प्रदेश में पृथक शिक्षक सेवा संवर्ग गठित नहीं है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0)/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायटों) में कार्यरत शिक्षक (प्रवक्ता/एल0टी0) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आते है, अर्थात इनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि की प्रक्रिया ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आती है। अतः **इस वर्ष 2024–25 की वार्षिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में एक समान व्यवस्था बनाए जाने हेतु इन संस्थानों में** कार्यरत शिक्षकों

(प्रवक्ता/एल0टी0) के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (प्रवक्ता/एल0टी0) के समान ही कार्यवाही की जाएगी।

(ii) बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–3 एवं शासनादेश संख्या–102 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 के क्रम में डायटों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में दिनांक 13 अप्रैल 2018 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के बिन्दु संख्या–5 के अनुपालन में **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0)/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायटों) में तैनात राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक (प्रवक्ता एवं स0अ0) एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों हेतु संबंधित की संस्था की श्रेणी/कोटिकरण सबसे निकटतम माध्यमिक विद्यालय (सामान्य) हेतु निर्धारित श्रेणी के अनुसार निर्धारित होगी।** इस क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायटों) एवं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की श्रेणी/कोटिकरण का निर्धारण संलग्नक 'एक' के अनुसार किया गया।

(iii) उक्त के क्रम में समिति द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–4684–87 दिनांक 19 मई, 2023 के अनुसार वर्ष 2023–24 में वार्षिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कोटिकरण निर्धारण के संबंध में लिये गये निर्णय को विलोपित किये जाने की संस्तुति की गई।

(iv) समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही से महानिदेशक महोदय, विद्यालयी शिक्षा को अवगत कराते हुये इस श्रेणी/कोटिकरण उनका अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय।

(मुकेश बहुगुणा)
एम0आई0एस0 प्रभारी,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(अर्जुन सिंह नेगी)
मु0प्रशा0अधिकारी, सेवा–2, अनुभाग,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(सी0पी0 रतूड़ी)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(अजय नौडियाल)
अपर निदेशक
एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।

(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

संलग्नक 'क'

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायटों) एवं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) की श्रेणी/कोटि का निर्धारण (05.01.2018 से पश्चात)

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	संस्थान के निकटस्थ स्थित माध्यमिक विद्यालय का नाम एवं श्रेणी/कोटि		संस्थान की श्रेणी/कोटि
		विद्यालय का नाम	श्रेणी/कोटि	
1	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रूड़की, हरिद्वार	रा0इ0का0 रूड़की, हरिद्वार	सुगम	सुगम
2	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून	रा0इ0का0 गुजराड़ा देहरादून	सुगम	सुगम
3	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 बड़कोट, उत्तरकाशी	सुगम	सुगम
4	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी, टि0ग0	रा0प्र0इ0का0 बौराड़ी, नई टिहरी, टि0ग0	सुगम	सुगम
5	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव, पौ0ग0	रा0इ0का0 खण्डाह, पौडी गढवाल	सुगम	सुगम
6	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर, चमोली	रा0इ0का0 गौचर, चमोली	सुगम	सुगम
7	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रतूड़ा, रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 रतूड़ा, रूद्रप्रयाग	सुगम	सुगम
8	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट, पिथौरागढ़	रा0इ0का0 डीडीहाट, पिथौरागढ़	सुगम	सुगम
9	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट, चम्पावत	रा0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत	सुगम	सुगम
10	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा	रा0इ0का0 अल्मोड़ा, अल्मोडा	सुगम	सुगम
11	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर	रा0इ0का0 बागेश्वर, बागेश्वर	सुगम	सुगम
12	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल, नैनीताल	रा0इ0का0 भीमताल, नैनीताल	सुगम	सुगम
13	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रपुर, उ0सि0नगर	ए0एन0झा रा0इ0का0 रूद्रपुर, उ0सि0नगर	सुगम	सुगम
14	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून	रा0इ0का0 नालापानी, देहरादून	सुगम	सुगम
15	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून	रा0इ0का0 नालापानी, देहरादून	सुगम	सुगम

(मुकेश बहुगुणा)
एम0आई0एस0 प्रभारी,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(अर्जुन सिंह नेगी)
मु0प्र0अधि0, सेवा-2,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(सी0पी0 रतूड़ी)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(अजय नौडियाल)
अपर निदेशक
एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।

(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।